अपराध निवारण तथा आपराधिक न्याय पर 12वीं संयुक्त राष्ट्र
महासभा
12–19 अप्रैल, ब्राजील

प्रस किट

भारत तथा भूटान के लिये
संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र

<u>पृष्ठभूमि टिप्पणी</u>

अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय पर यूएन की
12वीं महासभा (12–19 अप्रैल 2010, ब्राजील)

अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र की बारहवीं महासभा आगामी 12–19 अप्रैल 2010 को सल्वाडोर, ब्राजील में होगी। बारहवीं कांग्रेस की थीम है – ''वैश्विक चुनौतियों के विरुद्ध सघन युद्धनीतिः बदलते वैश्विक वातावरण में अपराध की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय प्रणाली तथा उनका विकास''। इस वर्ष की कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र की अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय की 55वीं वर्षगांठ भी होगी।

सन् 1955 से लगातार हर 5 वर्ष पर विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रकार के अधिवेशन होते रहे हैं और इनका राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण तथा आधुनिक राष्ट्र की एक मुख्य संस्था, आपराधिक न्याय पालिका के सम्मुख उपस्थित जटिल समस्याओं के प्रति अनूठी सोच एवं संपर्क के प्रकार विकसित करने की दिशा में विशेष योगदान रहा है।

इस वर्ष के एजेंडे में निम्नांकित 8 विशेष विषय हैं:

(1) बाल, युवा एवं अपराध।

(2) आतंकवाद की रोकथाम तथा निराकरण संबंधी अन्तरराष्ट्रीय साधनों के अनुमोदन तथा लागूकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु तकनीकी सहायता का प्राविधान।

(3) अपराध के रोकथाम के लिए जारी संयुक्त राष्ट्र गाइड लाइन को कार्यकारी बनाना।

(4) प्रवासियों की तरक्की एवं मानव देह व्यापार, बहुराष्ट्रीय संगठित अपराध तथा इस पर आपराधिक न्याय की प्रतिक्रियाएं।

(5) मनी लान्डरिंग को सम्बोधित करने में मौजूदा तथा उपयोगी राष्ट्र संघ दूसरे नियमों के उपयोग में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग।

(6) अपराधियों तथा अपराध नियंत्रण में लगे उपयुक्त अधिकारीगणों द्वारा विज्ञान तथा तकनीकी हाल के ही विकास कार्यों का भरपूर उपयोग– इनमें साइबर अपराध का केस भी शामिल है।

(7) अपराधों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता को और मजबूत बनाना तथा प्रयोगात्मक उपायों की खोज।

(8) प्रवासियों, प्रवासियों के परिवारों तथा प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध हिंसा के प्रति अपराधों की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय का उपयुक्त जवाब।

इस महासभा के दौरान निम्नांकित 5 कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी :

कार्यशाला प्रथम– न्याय सम्मत राज के लिए अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय का शिक्षण।

कार्यशाला द्वितीय– आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा बंदियों के प्रति व्यवहार विषय में संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बेहतर कार्यों का सर्वेक्षण।

कार्यशाला तृतीय– शहरी अपराधों की रोकथाम के लिए व्यावहारिक उपाय।

कार्यशाला चतुर्थ– नशीली दवाओं की तस्करी तथा दूसरे संगठित अपराधों के आपसी सम्बन्धों के प्रति समन्वित अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया।

कार्यशाला पंचम– सुधारक सहायिकाओं में होने वाली भीड़भाड़ के प्रति बेहतर प्रक्रियाएं एवं युद्ध नीतियां।

विस्तृत चर्चा के बाद प्रतिभागियों द्वारा निम्नांकित तीन मुख्य मार्गों के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए सुझाव पेश किये जाऐंगे।

- विधि सम्मत राजकाज इमारत के मध्य स्तंभ के रूप में अपराधिक न्याय पालिका का गठन।
- आपराधिक न्यायपालिका का प्रगति में अहम पात्रता चिन्हित करना।
- अपराध से निपटने के लिए आपराधिक न्याय पालिका की क्षमताओं के सशक्तीकरण के लिए आपराधिक न्याय पालिका के प्रति मार्ग की आवश्यकता पर बल डालना।

महासभा के अंतिम तीन दिनों में एक उच्चस्तरीय बैठक का भी आयोजन होगा।

अभी तक (लैटिन अमरीका तथा कैरिबियन, पश्चिम एशिया, प्रशांत तथा अफ्रीका) में चार प्रांतीय आरंभिक मीटिंग हो चुकी हैं, जिनसे ऐसा प्लेटफार्म प्राप्त हुआ है जिस पर बारहवीं कांग्रेस में प्रांतीय दृष्टिकोण से एक विचार किया जा सकेगा।

अधिक जानकारी हेतु विजिट करें:
www.crimecognress2010.com.br

लाइव वेबसाइट देखने के लिये विजिट करें:
www.un.org/webcast/crime2010

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

तथ्य पत्र–1

प्रश्न और उत्तर

अपराध की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र की बारहवीं कांग्रेस क्या है?

बारहवीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस अपराध की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय कांग्रेस ब्राजील सरकार द्वारा आयोजित की जा रही हैं और सल्वाडोर में 12—19 अप्रैल 2010 के मध्य होगी। संयुक्त राष्ट्र अपराध रोकथाम कांग्रेस सन् 1955 से हर पांच वर्ष के अन्तराल पर विश्व के विभिन्न देशों में आयोजित होती रही है और इनमें अनेकों विषयों पर विचार किया गया है। अन्तरराष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय पर इनका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है तथा यह अनेकों राष्ट्रों की नीतियों तथा पेशेवर व्यवहार पर भी असरदार रही हैं। वैश्विक स्तर पर इस कांग्रेस द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों तथा राष्ट्रों को आपस में जानकारी तथा बेहतर कार्य प्रकारों के लिए जानकारियों के आदान—प्रदान हेतु अच्छा अवसर मिला है। इन सभी मुख्य लक्ष्य और अधिक प्रभावकारी अपराध रोकथाम नीतियां तथा विश्व भर में बेहतर आपराधिक न्याय उपायों का विस्तार करना रहा है।

इस वर्ष की कांग्रेस की थीम क्या है?

बारहवीं कांग्रेस की थीम है— ''वैश्विक चुनौतियों के लिए सघन युद्धनीतियांः बदलते विश्व में अपराध की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय प्रणाली तथा उनका विकास'', जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली द्वारा तय किया गया है।

बारहवीं कांग्रेस द्वारा गहन वार्तालाप तथा तीन मुख्य मार्गों के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए सुझाव देने के लिए एक अनूठा अवसर दिया है।

• कानून सम्मत राज इमारत में अपराध न्याय प्रणाली को मुख्य स्तंभ का मजबूत रूप देकर।
• प्रगति में आपराधिक न्याय को मूलभूत पात्रता को न्याय रेखांकित करके।
• अपराध से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता को और शक्तिशाली बनाने के लिए अपराध न्याय प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता के लिए होलिस्टिक एप्रोच पर बल देकर।
• ऐसे उभरते आपराधिक स्वरूपों को जो समस्त विश्व के समाजों के लिए भय स्वरूप हैं उनको चिन्हित कर उनको रोकने तथा नियंत्रित करने के उपायों की खोज करके ।

कांग्रेस में किस पर चर्चा होगी?

एजेंडा में आठ मुख्य विषय हैं जो निम्न विषयों को समावेशित करते हैं।
बाल, युवा एवं अपराध, आतंकवाद, अपराध रोकथाम, प्रवासियों की तस्करी तथा मानव देह व्यापार, मनी लान्डरिंग, साइबर अपराध जैसे अपराधों से लड़ने में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा प्रवासियों एवं उनके परिवारों के प्रति हिंसा। कांग्रेंस में पांच कार्यशालाएं भी चलाई जाएंगी। कानून सम्मत राज के लिए अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की शिक्षा, आपराधिक न्याय प्रणाली में बंदियों के प्रति व्यवहार में संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य बेहतर तौर—तरीकों का सर्वेक्षण, शहरी अपराध की रोकथाम के कार्यसक्षम उपाय, नशीली दवाओं की तस्करी तथा अन्य संगठित अपराधों के आपसी संबंध, समन्वित अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, तथा सुधारक सहायिकाओं में बढ़ती भीड़ भाड़ के प्रति युद्ध नीति तथा सर्वोत्तम क्रियान्वयन। अन्तिम दो दिनों में एक उच्चस्तरीय विभाग भी आयोजित होगा जहां पर राष्ट्र नायिक तथा मंत्रिगण एवं उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधि कांग्रेस के एजेंडे के मुख्य विषयों को सम्बोधित करेंगे। इनके अतिरिक्त एनजीओ द्वारा भी अपराध रोकथाम, आपराधिक न्याय प्रणाली तथा न्याय सम्मत राज पर अनेकों बैठकें वगैरा भी होती रहेंगी।

कौन हिस्सा ले रहा है?

क्राइम कांग्रेस एक वैश्विक सभा गृह है जहां पर अपराध रोकथाम तथा आपराकि न्याय क्षेत्र के नीति निर्धारण तथा कार्यकर्ता तथा शिक्षण विशेषज्ञ, अन्तर्सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ एजेन्सियों तथा संयुक्त राष्ट्र की दूसरी इकाइयों तथा मीडिया के लोग भारी संख्या में तथा विभिन्न क्षेत्रों में आकर हिस्सा लेते हैं।

कांग्रेस के क्या परिणाम निकलने की उम्मीदें हैं?

कांग्रेस केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र ही स्वीकार करेगा, इसमें विभिन्न संभागों द्वारा की गई चर्चाओं जो कि उच्च स्तरीय संभाग तथा कार्यशालाओं द्वारा की गई चर्चाएं शामिल हैं, के बाद दिये गए सुझावों पर आधारित होगा। यह घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र कमीशन आन क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस को, 17—21 मई 2010 के मध्य होने वाली उन्नीसवें सत्र के दौरान पेश किया जाएगा ताकि उस पर उचित विचार करें तथा अनुरूप कार्यवाही करें।

कांग्रेस द्वारा इनके साथ ही विभिन्न सरकारों, अन्तर्सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के मध्य अपराधों की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय विषयों पर सहयोग बढ़ाने का प्लेटफार्म साबित होगा जिससे इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय कार्यवाही और प्रभावशाली होगी।

कांग्रेस के रनअप में क्या हो रहा है?

इन विषयों पर क्षेत्रीय आयाम प्रदान देने हेतु चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आफिस ऑन ड्रग्स क्राइम (यूएनओडीसी) ने सन् 2009 में क्षेत्रीय प्रारंभिक मीटिंगों की श्रृंखला आयोजित की थी, यह सान होसे, कोस्टारिका, दोहा, कतर, बैंगकांक, थाईलैंड तथा नैरोबी, केन्या में हुई थी। इसके पीछे यहीं विचार था कि हिस्सा ले रहे क्षेत्र अपनी विशेष समस्याएं तथा जो उन्होंने पाठ सीखे वे उनको रेखांकित कर सकें। इन प्रारंभिक क्षेत्रीय मीटिंगों में सहभागियों ने अपनी विशेष समस्याओं तथा चिन्ताओं के साथ–साथ सफल अनुभवों पर प्रकाश डाला तथा उन पर कदम उठाने के वायदे किए।

यदि मैं ब्राजील न आ सकूं तो मैं इसकी कार्यवाहियों को कैसे नियमित रूप से जानकारी प्राप्त कर सकता हूं?

कांग्रेस की लाइव वेबसाइट लाइव तथा ऑन डिमांड कवरेज अंग्रेजी तथा ओरिजनल (जो बोली जा रही है) भाषा में दिखाएगी। इसके साथ ही सारे बयान (भाषण) टेक्स्ट फारमेट में भी दिखाए जाएंगे।
यह वेबसाइट है http://www.un.org/webcast/crime 2010

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

<u>तथ्य पत्र–2</u>

अपराध तथा आपराधिक न्याय की वैश्विक स्थिति

हालांकि परम्परागत अपराधों में पिछले पांच वर्षों में विकसित देशों में लगातार गिरावट देखी गई लेकिन इसी मध्य कुछ नवीन प्रकार के जिनमें कुछ अब तक भुला दिये जा चुके अपराध शामिल न केवल पुनर्जाग्रत हुए बल्कि उनमें एक उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी भी दिखी।

संयुक्त राष्ट्र संघ अपराधिक रुझान एवं आपराधिक न्याय पालिकाओं के क्रियाकलापों का सर्वेक्षण द्वारा दिये गए साक्ष्यों का उपयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ सेक्रेटरी जनरल द्वारा बारहवीं अपराध महासभा को पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षो के दौरान अपराध तथा आपराधिक न्याय के रुझान मिश्रित तौर के रहे हैं।

इक्कीसवीं सदी के जलदस्युओं का उदयः

अभी हाल ही के समय तक जलदस्यु होना एक अनहोनी ही थी जिसका जिक्र अखबारों से ज्यादा इतिहास की पुस्तकों में ही मिलता था परंतु आजकल इक्कीसवीं सदी के जलदस्यु लगातार जहाजों पर हमले कर रहे हैं, विशेषकर सोमालिया के तट तथा अदन की खाड़ी में और सन् 2009 के प्रथम छमाही में कुल 140 से ज्यादा ऐसे हमले देखने को मिले। इस प्रकार की जल डकैती अपहरण का ही एक रूप है जिसमें फिरौती के लिए जहाज और बंधक पकड़े जाते हैं– जहाज या उसका माल चुराने के लिए नहीं।

इसके अलावा अमरीकी महाद्वीप के देशों में भी अपहरण की वारदातें बढ़ रही हैं। बहुधा यह नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित होती हैं अथवा अन्तर्माफिया झगड़ों से।

हत्याएंः

पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिकांश देशों में कत्ल की दरों में गिरावट देखी गई हैं, और यह गिरावट यूरोप के कुछ भागों में, दक्षिण अमरीका तथा पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया में उल्लेखनीय रही लेकिन कुछ देशों में खासकर उनमें जो गैर कानूनी दवाओं के धंधे में लिप्त है– इन कत्ल की वारदातों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स तथा अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) के आंकलन दर्शाते हैं कि 2004 में लगभग 4,90,000 लोग जानबूझ कर कत्ल की वारदातों में हलाक हुए, जबकि वैश्विक होमीसाइड औसत सन् 2004 में 7.6 प्रति एक लाख की जनसंख्या का था।

चूंकि अधिकांश कत्लों में किसी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग हुआ था, अतः कत्ल की दर हथियार बंद हिंसा के स्तर का सूचक है जो अधिकारियों को हमेशा बताया नहीं जाता।

परम्परागत अपराधः

जायदाद संबंधी अपराधों में कमी हुई है विशेषकर पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के समूह में। 1995 तथा 2008 के मध्य पुलिस द्वारा रिकार्ड की गई सेंधमारी तथा वाहनों की चोरियां घटकर आधी रह गईं। यह लगातार होती गिरावट अवरोधी उपायों की बढ़ोत्तरी जैसे बेहतर घरेलू तथा वाहन सुरक्षा उपायों के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है।

कत्ल की वारदातों को छोड़कर बाकी परम्परागत अपराधों पर पुलिस द्वारा दर्ज आंकड़ों को घटते हुए आपराधिक दर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता क्योंकि शायद यह आपराधिक कृत्वों का पूर्ण विस्तार नहीं दर्शाता फिर भी, इस जानकारी द्वारा विभिन्न रुझानों को तो देखा ही जा सकता है।

नशीली दवाओं संबंधी अपराधः

लूटपाट, चोरी, मारपीट या सेंधमारी जैसे अपराधों का एक भाग नशीली दवाओं के इस्तेमाल जैसे कारणों के फलस्वरूप होना संभव है किन्तु आंकड़ों में इसका वास्तविक विस्तार जान पाना कठिन है। नशीली दवाओं के अपराध, दवा रखने से लेकर दवाओं की तस्करी, जो बहुत आसानी से रिकार्ड किये जाते हैं, बढ़ रहे हैं लेकिन यह कहना कठिन है कि यह रुझान दवाओं की समस्या की बढ़ोत्तरी की वजह से है या प्रवर्तन कार्य कलापों में वृद्धि के कारण।

मानवों की तस्करीः

यूएनओडीसी की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन परसन्स के अनुसार सन् 2006 में 111 देशों में 21 हजार से ज्यादा व्यक्ति मानव देह तस्करी के शिकार हुए थे लेकिन इस समस्या की पूरी माप अज्ञात है। मानव देह तस्करी ऐसा अपराध है जिसमें यदा कदा कानूनी कार्यवाही होती है और जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध है उनमें आधे से कम ही से रिपोर्ट के समय अन्तराल में कम से कम एक में तो सजा सुनाई गई थी।

मानव देह तस्करी के अपराधों में अन्य प्रकार के अपराधों की अपेक्षा अधिक महिलाओं को सजा मिली जबकि इसी समय में जिन 61 देशों से जानकारी प्राप्त की गई उसमें ऐसे अपराधों के शिकार हुए लोगों में दो तिहाई से अधिक महिलाएं थीं।

भ्रष्टाचारः

भ्रष्टाचार के प्रति सही तथा अर्थ पूर्ण आंकड़े जमा करना बेहद कठिन है। जिन केसों की रिपोर्ट हुई है वे भी इस समस्या का सही चित्रण प्रतिबिम्बित नहीं करते अतएव शोधकर्ताओं ने इसे मापने के दूसरे मार्ग विकसित किये हैं।

उदाहरण के तौर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षणों द्वारा यह जानकारी मिल सकती है कि पिछले वर्ष कितने लोगों ने घूस दी। सर्वेक्षण परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि व्यापार द्वारा टैक्स या म्युनिसिपल अधिकारियों की बनिस्बत किन्ही सरकारी विभागों, जिसमें पुलिस तथा चिकित्सा विभाग शामिल है, को ज्यादा बार घूस दी गई।

एक हालिया यूएनओडीसी जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण अफगानिस्तान में पाया गया कि आधे से ज्यादा (52 प्रतिशत) अफगानों को पिछले 12 महीनों में जन अधिकारियों से व्यवहार के तहत कम से कम एक बार तो घूस देनी ही पड़ी है। अफगानों द्वारा जनता के प्रति बेईमानी को असुरक्षा और बेरोजगारी से ज्यादा चिंताजनक बताया गया।

आपराधिक न्याय प्रणालीः

यूएनसीडीएस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि विश्व स्तर पर सन् 2006 में प्रति एक लाख की आबादी पर लगभग 300 पुलिस अधिकारी की मध्य रेखा है हालांकि देशों में पुलिस अधिकारियों की अनुपात में उल्लेखनीय भिन्नताएं भी हैं, लेकिन सभी देशों में अभियोजन कर्मचारियों के अनुपात बेहद कम थे जिनकी मध्यिका रेखा प्रति एक लाख पर मात्र 6 थी।

बालिगों की जेल में स्टाफ संख्या में विभिन्न देशों में व्यापक उतार चढ़ाव प्रदर्शित हुए जो कि निम्नतम 2 से अधिकतम 160 जेल स्टाफ कर्मचारी प्रति 1 लाख की आबादी पर था जबकि इनकी माध्यम 51 पर रही।

पुलिस कार्मिकों तथा संदेहास्पद लोगों के अनुपात प्रति एक लाख में कोई भी पारस्परिक सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे यह संभावना उठती है कि ज्यादा पुलिस अफसर होने से जुर्म साबित हो जाने के अनुपात बढ़ेंगे यह आवश्यक नहीं।

जेलः

पिछले दस वर्षों में ज्यादातर देशों में जेल में बंद कैदियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और यह वैश्विक स्तर पर 60 से 75 प्रतिशत तक रही।

जेलों में भीड़ भाड़ की एक बड़ी वजह यह है कि ऐसे देशों की एक गौरतलब संख्या है जहां ट्रायल होने तक विचाराधीन बंदियों का अनुपात बहुत ऊंचा है। अफ्रीका तथा अमेरिकी देशों में से एक तिहाई देशों में (जिनके आंकड़े मौजूद हैं) जेल जनसंख्या में आधे से अधिक ऐसे लोग हैं जो प्रीट्रायल डिटेन्शन में बंद हैं और अधिकतम भीड़भाड़ भी इसी क्षेत्र के देशों में है।

निष्कर्षः

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध तथा आपराधिक न्याय पर प्राप्त आंकड़ों के अप्राप्यता में सुधार करने की अति आवश्यकता है ताकि विश्व में अपराध की ओर सही तस्वीर बनाई जा सके।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

तथ्य पत्र–3

बालक एवं युवा वर्ग की
विश्वभर में एक बड़ी संख्या नजरबन्द

सन् 2007 में युनिसेफ द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार किसी एक समय में 1.1 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे और युवा न्यायिक सिस्टम द्वारा सारे विश्व में कैद में होते हैं और यह आंकड़े भी बहुत कम आंके गए हो सकते हैं। इनमें वे बच्चे हैं जिनकी सुनवाई होनी है, कम उम्र के कैदी तथा कुछ समय के लिए पुलिस द्वारा बन्दी बनाए गए बच्चे भी शामिल हैं।

सन् 2009 में अपनी स्वीकृति की 20वीं जयन्ती मनाने वाले कन्वेन्शन ऑफ द राइट्स ऑफ दि चाइल्ड के मौजूद होने के बावजूद कानून निरोध में फंसे बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या को उनकी स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा हैं।

बच्चों को बन्द करना क्यों अन्तिम उपाय होना चाहिए, प्रथम नहीं?

सितम्बर 2009 में मैनफ्रेड नोवाक, संयुक्त राष्ट्र के यातना तथा दूसरी निर्दयी , अमानवीय तथा निकृष्ट व्यवहार या सजा के विशेष रिपोर्टर, ने जनरल एसेम्बली को अन्तरिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें जेल में बन्द बच्चों के बारे में विशेष सूचनाएं थीं।

उनकी रिपोर्ट ने पाया– कि कैद में बच्चें विशेषतया कमजोर होते हैं, एक सावधानी पूर्ण अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में दस लाख से ज्यादा बच्चें अपनी स्वतंत्रता गंवाकर विभिन्न पुलिस स्टेशनों, सुनवाई के पूर्व बन्दीगृह, जेल, बन्द चिल्ड्रेन होम तथा ऐसे ही कैदखानों में बन्द हैं। इन बच्चों की एक बहुसंख्या या तो छुट–पुट अपराधों के लिये सजायाफ्ता हैं या अपराधी और जनविश्वास के विरुद्ध इनका एक बहुत छोटा भाग ही किसी हिंसात्मक अपराध के लिए बन्द हैं। इनमें से अधिकांश प्रथम बार के अपराधी हैं।

यह समस्या इसलिए भी बेहद खराब हैं क्योंकि यह भी सत्य है कि ज्यादातर पेशों में जुवेनिल जस्टिस प्रणाली–अगर ऐसा कुछ है भी तो–प्राथमिक स्तर का है और मानवीय अधिकारों की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। इन सीमाओं के कारण बच्चों को बन्द रखना अन्तिम उपाय के बजाय चालू उपाय बनकर रह जाता है। यह सिस्टम अन्ततः वेल्फेयर सिस्टम जो कि नाकाम हो गया है या मौजूद ही नही हैं को विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि ऐसे बच्चें जैसे सड़क के बच्चें, जिन्हें मात्र कल्याणकारी सहायता चाहिए, और जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है वे भी बन्द कर दिये जाते हैं।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत से देशों में बहुत कम उम्र पर आपराधिक जिम्मेदारी थोपना एकदम सामान्य है। अपने दौरों के दौरान वह जिनसे मिले उनमें से अधिकांश भीड़ भरी कोठरियों में रखे गए थे जहां साफ सफाई तथा शुद्धता की शर्मनाक स्थिति थी। जिन मामलों में सुनवाई के पहले के बन्दी का समय था उनमें से ज्यादातर में ऐसा ही हाल था जबकि इरादा यह होना चाहिए था कि प्रीट्रायल बच्चों को बन्द रखना केवल विशेष मामलों में ही हो।

श्री नोवाक की रपट ने यह भी गौर किया कि कुछ मुल्कों के राष्ट्रीय कानून बच्चों के डिसिप्लिन करने के तरीकों में कम उम्र के अपराधियों की बेंत से पिटाई किये जाने की अनुमति देता है– यहां तक जिन देशों में यह प्रतिबन्धित है वहां पर भी कारपोरल सजा भी अकसर दी जाती है उन्होंने कुछ तरीकों का वर्णन भी किया है– एक घन्टे से ज्यादा देर तक घुटने मोड़कर हाथ फैलाकर उकडूं बैठना, बहुत अधिक देर तक बिस्तर में हथकड़ियों से बांधे रखना, सर पर तथा चेहरे पर थप्पड़ों की मार, खाली हाथों या शस्त्रों जैसे रबर नली से पिटाई, नितंबों तथा पीठ पर लकड़ी के डण्डे से गिनकर मार, तथा खिड़की की सरिया से टांगे रखना। कई बार यह सभी सजाएं दूसरे बच्चों के सामने भी दी जाती थी ताकि वे भयभीत होकर रहें।

बाल कैदियों के प्रति दुर्व्यव्हार का एक भारी हिस्सा दूसरे कैदियों, ज्यादातर बालिगों द्वारा तथा अन्य बच्चों द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार शाब्दिक, मानसिक के साथ शारीरिक जैसे बलात्कार तक हो सकता है।

असलियत तथा अन्दाज से स्पष्ट भिन्नताएंः

बहुत से देशों में जनता तथा मीडिया के अनुपात कि कितने बच्चे तथा युवा लोग अपराध में लिप्त हैं तथा शोध अध्ययनों में बहुत भिन्नताएं हैं।

आम राय के खिलाफ कमजोर वर्ग के बच्चों तथा युवा लोग हिंसात्मक अपराध करने की अपेक्षा उनके शिकार ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैण्ड तथा वेल्स में की गई एक जनमत में यह दर्शाया गया कुल मतदान करने वालों में से 75 प्रतिशत के विचारों में युवा अपराधियों की संख्या पिछले दो वर्षों में बढ़ी है जबकि जो पुलिस रिकार्ड किये गऐ है उनके अनुसार उनकी संख्या गिर रही थी।

हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ देशों में युवा गुण्डे दलों जैसी गंभीर समस्याए हैं, जिनमें लड़कियों के ऐसे दलों में शामिल होने की संख्या बढ़ रही है और युवाओं द्वारा गंभीर अपराध करने की वारदातें बढ़ रही हैं, फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों को गिरफ्तार करना अन्तिम उपाय के रूप में ही प्रयुक्त हो।

बहुत सारे बच्चे या तो हिंसा देखते हैं या झेलते हैं:

यूनिसेफ के अनुसार 50 करोड़ से डेढ अरब बच्चें हर साल हिंसा भोगते हैं। हालांकि कि कुछ हिंसा अप्रत्याशित तथा अलग होती है बच्चों के प्रति अधिकांश हिंसात्मक कार्य ऐसे लोगों द्वारा किये जाते हैं जिन्हें बच्चें जानते हैं तथा जिन पर विश्वास कर सकते हैं तथा जिसमें सहायता तथा रक्षा की उम्मीद कर सकते हैं जिनमें माता–पिता,सौतले माता–पिता या पिता के साथी, अध्यापक , धर्म नेता तथा मालिक शामिल हैं। जबकि परिवार बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, 37 देशों से प्राप्त आंकड़े बताते है कि 2 से 14 वर्ष के बच्चों में 86 प्रतिशत शारीरिक सजा तथा, और मानसिक उत्पीड़न से ग्रस्त होते हैं। इनमें से ज्यादातर कार्य अपराधिक नहीं माने जाते और कोई तक नहीं जाते।

एक और कमजोर श्रेणी है ऐसे बच्चों की जो हिंसा देखते हैं । हर साल कोई 275 मिलियन (साढ़े 27 करोड़) बच्चें सम्पूर्ण विश्व में घरेलू हिंसा देखते हैं ऐसा अनुमान हैं।

क्या करना चाहिए:

सबसे जरूरी कदम है सरकारों द्वारा बच्चों को बन्दी बनाना सीमित किया जाए।बन्दी बनाना अन्तिम उपाय है तथा कम से कम समय के लिए हो जब उन्हें सुधारने का कोई अन्य उपाय न हो।

सरकारों को चाहिए कि वे अपने जुबेनाइल जस्टिस सिस्टम में बच्चें की जरूरत को सर्वोपरि तथा केन्द्रीय बनाए और याद रखें कि कारपोरल दण्ड, यातना देने पर प्रतिबन्ध होने तथा दूसरी निर्दयी, अमानदीप तथा निकृष्ट सजाए को प्रतिबन्धित करने के बाद, समरूप नहीं बैठती। इस प्रतिबन्ध को पूर्णतया लागू करने के लिए राज्य बाध्य हैं।

सदस्य राष्ट्रों को चाहिए कि वे जुबेनाइल जस्टिस तथा बाल अपराधियों तथा गवाहों के लिए सघन मार्ग ग्रहण करें। ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिनसे इस सिस्टम के हर कदम पर उससे बच्चों को सुधार करने एवं वहालीकरण प्रक्रियाएं एकीकृत की जा सकें।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

unicindia@unicindia.org

<u>तथ्य पत्र–4</u>

आतंकवाद के नासूर के विरुद्ध वैश्विक जवाब की आवश्यकता

आतंकियों के 9/11 के हमले के समय केवल दो देश ही आतंकवाद पर प्रथम 12 अन्तरराष्ट्रीय वैधानिक नियमों के सहायक बने थे। अब यह संख्या 105 तक पहुंच गई है। अभी और भी बहुत करना बाकी है ताकि आतंकवाद को इस नासूर से, जो सभी देशों और सभी नागरिकों के लिए संकट है, निपटा जा सके।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति, जिसे जनरल असेम्बली द्वारा सितम्बर 2006 में अपनाया गया था, के द्वारा अन्तरराष्ट्रीय समाज से आतंकवाद के लिए वैश्विक जवाबी कार्यवाही को और मजबूत करना स्वीकृत किया है, जो कानून व्यवस्था तथा मानवीय अधिकारों को बरकरार रखने की कटिबद्धता को बरकरार रखते हुए वृहद आतंक विरोधी उपायों द्वारा लागू होगी।

आतंकवाद की रोकथाम तथा समाप्ति के लिए शनैःशनैः 16 कन्वेशन तथा प्रोटोकाल का एक अन्य अन्तरराष्ट्रीय विधिक ढांचों का निर्माण करना अन्तरराष्ट्रीय प्रत्युत्तर का सशक्त होना है।

आतंकवाद पर मौजूदा कन्वेन्शन्स का आकलनः

आतंकवाद के सम्बन्धित प्रथम 12 अन्तरराष्ट्रीय विधिक नियमों पर अन्तरराष्ट्रीय सहमति सन 1963 से 1999 के मध्य बनी। वे मुख्यतः किन्हीं विशिष्ट आतंकवादी घटना जैसे वायुयान अपहरण और बन्धक बनाना, के साथ–साथ आतंकवादी संगठनों तथा आतंकवादी कार्यों के लिए धन मुहैया कराना जैसे कार्यों के जवाबी कार्यवाही पर ही बनाए गए थे।

2001 तक इन नियमों के अनुमोदन तथा लागू करने में बहुत सीमित प्रगति ही हो पाई थी। 9/11के आतंकवादी हमलों के बाद इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ जब रिजोल्यूशन 1373 (2001) जिसे सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनाया, के द्वारा सभी सदस्य राज्यों को इन कन्वेन्शन तथा प्रोटोकाल का भागीदार बनाने का आह्वान किया गया।

ग्यारहवीं अपराध महासभा के उपरान्त अन्तरराष्ट्रीय विधिक ढांचे में और विकास हुआ है। आणविक आतंकवादी हरकतों को दबाने सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन को 2005 में अपनाया तथा 7 जुलाई 2007 को लागू किया गया। इस कन्वेशन का उद्देश्य ऐसे लोगों की जांच करने, उनके प्रति अभियोजन कार्यवाही करने तथा प्रत्यावर्तन करने में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना है, जो रेडियोधर्मी सामान या आणविक औजार सम्बन्धी आतंकी कार्य में लिप्त हैं। 1 दिसम्बर 2009 को 58 देश इस कन्वेन्शन के प्रतिभागी बन चुके थे।

सन् 2005 में अन्तरराष्ट्रीय समाज में आणविक पदार्थों की सुरक्षा तथा समुद्री सुरक्षा तथा कन्टिनेन्टल सेल्फ पर स्थिर प्लेटफार्म पर दो कन्वेन्शनों में व्यापक सुधार करने सम्बन्धी स्वीकृति हुई थी, लेकिन आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति न मिल पाने के कारण यह लागू नहीं हो सके हैं।

जनरल असेम्बली द्वारा स्थापित एडहॉक कर्मचारी समूह द्वारा अन्तरराष्ट्रीय आंतकवाद पर विस्तृत कन्वेन्शन पाने हेतु समझौता वार्ताएं की जा रही हैं। इसमें आतंकवाद की सही परिभाषा तथा अभी तक हुए मौजूदा समझौतों की रिक्तियों की पूर्ति भी होगी। विस्तृत कन्वेन्शन पर स्वीकृति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्यप्राप्ति होगा।

अनुमोदन प्रगति के बावजूद मौजूदा 16 औजारों का सर्वभौमिक अनुमोदन अभी तक नहीं हो सका है लेकिन यह सिर्फ अनुमोदन या हस्ताक्षर करने का प्रश्न नहीं हैः राष्ट्रों में कार्यक्षमता राष्ट्रीय आतंक विरोधी विधिक राज्य के साथ इन नियमों को प्रभावशाली बनाने लायक सामर्थ्य भी होनी चाहिए।

2002 में जनरल असेम्बली ने युनोडोट के आतंकरोधी शाखा की गतिविधियां बढ़ाने की मंजूरी दे दी जिसके तहत राष्ट्रों को उनकी प्रार्थना पर इसके द्वारा आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में विधिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता देने के प्रतिपादन को केन्द्रित किया गया था। ''2003 जनवरी में आंतकवाद के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय विधिक कार्यपालिका का सशक्तीकरण के वैश्विक प्रोजेक्ट'' के शुरू होने से अब तक, यूनोडोक की आतंकवाद प्रतिरोधी शाखा द्वारा विशेष तकनीकी विधिक सहायता का 168 देशों द्वारा लाभ उठाया जा चुका है। इससे कार्य के योगदान के फलस्वरूप सहायता प्राप्त राष्ट्रों द्वारा 16 अन्तरराष्ट्रीय नियमों में कोई 515 अनुमोदन किये जा चुके हैं तथा 67 देशों द्वारा नए और संशोधित आतंकवाद विरोधी कानून पारित किए गये हैं।

आतंकवाद विरोधी शाखा द्वारा लगभग 9000 आपराधिक न्याय कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है तथा यह कभी भी अन्तरराष्ट्रीय नियमों के अनुमोदन तथा उनको वैधानिक तौर पर लागू करने में सहायता दे रही है, विशेषकर उन राष्ट्रों को जहां अनुमोदन करने की दर कम है।

आगे की चुनौतियांः

अन्तरराष्ट्रीय औजारों के सार्वभौमिक अनुमोदन तथा पूर्णरूपेण लागू करने की दिशा में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। 1दिसम्बर 2009 को कुल 192 सदस्यों में से मात्र 3 द्वारा सारे 16 अन्तरराष्ट्रीय विधिक औजारों के सहभागी बने तथा सिर्फ 120 हैं जो 12 या ज्यादा के सहभागी हैं।

अनुमोदन मात्र ही काफी नहीं है। इसके लिये राष्ट्रों के आपराधिक न्याय सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने की और ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आतंकवाद के खिलाफ कार्यपालिका, मानवीय अधिकारों तथा कानून सम्मत रहते हुए भी कार्य सक्षम बने।

यूनोडीसी के पास सहायता के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं से जाहिर होता है कि और ज्यादा लम्बी अवधि की गहन आवश्यकतानुसार बनाई गई सहायता भी आवश्यक है जो आपराधिक न्यायकर्मियों तक पहुंच सके जो पुख्ता केसों की जांच, अभियोजन तथा न्यायालय तक ले जाने में व्यस्त हैं। यह प्रार्थनाएं विशेष विषयों जैसे आणविक, रासायनिक तथा बायोलॉजिक्स आतंकवाद, जल व्यापार, विषम आतंकवादियों को धन मुहैया कराने तथा इन्टरनेट के आतंकवादी प्रयोग के विरुद्व और अधिक तथा खासी विशेषज्ञ सहायता बनाने तथा देने में वृद्धि करने की जरूरत है। इस शाखा को उन क्षमताओं को बढ़ाने में भी सहायता की जरूरत है।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि अकसर जिस पर शक हो, पीड़ित, साक्ष्य गवाह, विशेषज्ञ या अपराध के सूत्र किसी एक अकेले देश के न्यायिक क्षेत्र से परे होते हैं। आपराधिक न्यायकर्मियों के लिए आवश्यक है कि वे आतंवादी अपराधों के साथ–साथ आतंक से जुड़े लोगों के साथ निपट सकें। संगठित अपराध के विरुद्ध इस्तेमाल किये जाने वाले कई बेहतर उपाय आतंकवाद विरोधी युद्ध में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

आतंकवाद विरोधी शाखा को अपनी डिलीवरी 90 प्रतिशत के लिए बजट के अतिरक्त भी फन्ड की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए भरपूर संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता हैं ताकि ब्रांच की तकनीकी सहायता का काम चल सके इसे सामान्य बजट सम्पदा के आवश्यक बढ़ोत्तरी द्वारा कोई बजट के अतिरिक्त भी कई वर्षों के लिए अनुमानित आवश्यकता सम्पदा के प्राविधान द्वारा किया जा सकता है।

कानून की सर्वमान्यता पर आधारित आपराधिक न्याय की स्थापना करना, जो वैश्विक आतंकविरोधी प्रयासों की कुंजी और बाकी संभागों के लिए रीढ़ की हड्डी तथा प्रथम आवश्यकता के समान है। अन्तरराष्ट्रीय समाज इस समय चौराहे पर खड़ा है–आतंकवाद सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय समझौते तथा प्रोटोकाल के अनुमोदन तथा अनुशीलन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। फिर भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है ताकि इन अन्तरराष्ट्रीय विधिक नियमों का सर्वभौमिक अनुमोदन तथा अनुशीलन हो सके।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

<u>तथ्य पत्र–5</u>

अपराध निरोध पर यूएन निर्देशनों को कार्यकारी कैसे बनायें

विकास के लिए एक सुरक्षित तथा समतापूर्ण समाज का होना प्रथम आवश्यकता है। अपराध की चोट गरीबों द्वारा ही सर्वाधिक महसूस की जाती है और यह एक भी एक कारण है कि किसलिए किसी भी देश के कानूनी राज में अपराध निरोध उसका एक आवश्यक अंग हो। अपराध तथा उससे उत्पीड़न विकास को अवरुद्ध करते हैं। यह नागरिकों की जीवन को नीचे गिराते हैं और व्यापार को चलता करके रोजगार के मार्गो को रोकते हैं। जब तक सुरक्षा स्थापित नहीं होती अपराध तथा अपराधिक न्याय पर होने वाला खर्च सामाजिक विकास के लिए मौजूद फंड को कम करता रहेगा।

न्यायपालिका की क्षमता तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि अपराध को बढ़ावा देने वाले खण्डों जैसे कैद के बाद पुर्नस्थापना (बाद की देखभाल) के कार्यक्रम रोजगार तथा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं तथा गृह निर्माण सेवाओं की कमी को भी दूर करने के बारे में विचार करना चाहिए।

अपराध निरोध के तीन प्रकारः

वृहद अनुभवों तथा संस्थागत शिक्षण ने अपराधों की रोकथाम के कम से कम तीन ऐसे प्रकारों को चिन्हित किया जो अपराध दर घटाने में प्रभावी रहे हैं चाहे अकेले या फिर सम्मिश्रण में। यह हैं सामाजिक, जाति आधारित तथा स्थिति जन्म अपराध की रोकथाम।

अपराध रोकथाम की सामाजिक युद्धनीतियां लक्षित समूह की भलाई को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। सामाजिक भलाई की युक्तियां जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्वस्थ वातावरण, रोजगार तथा शिक्षा तक पहुंचने की राहों की सुविधाएं बढ़ाकर यह प्रयास करती हैं कि हाशिये पर रह रहे नागरिकों को अपराध को कैरियर के रूप में अपनाने की ओर ढकेलने वाले तत्वों को कम किया जा सके।

जाति या समूह आधारित अपराध निरोधक कार्यवाही का लक्ष्य होता है कि वंचित पड़ोसियों की स्थिति में जहां सामाजिक जुड़ाव निम्नस्तर का है, जिससे अपराध में लिप्त हो जाने की अथवा इसके शिकार होने का खतरा काफी ज्यादा है, वहां उसकी स्थिति में बदलाव लाया जाए।

स्थितिजन्य अपराध निरोध का लक्ष्य होता है कि अपराध करने के मौके तथा बढ़ावों को घटाया जाए जिससे पकड़े जाने का खतरा सर्वाधिक हो और अपराध से मिलने वाला लाभ कम से कम हो तथा इसमें ऐसी तकनीकी जैसे हाउसिंग तथा पब्लिक स्थानों का बेहतर वातावरण डिजाइन तथा अपराध के पीड़ितों को सहायता देने का प्रयोग हो।

सफल अपराध निरोधक प्रोग्रामों का रहस्य

कई ऐसे प्रमाणिक तथा मूल्यांकित उदाहरण मौजूद हैं जहां पर उपरोक्त तीन प्रकार के अपराध निरोधक प्रचारों का उपयोग करके अपराध दर को सफलता पूर्वक नियंत्रित किया गया। निम्नांकित आठ सिद्धान्त इन सफल अपराध निरोधक प्रोग्रामों की संयुक्त पृष्ठभूमि के रूप में स्थित हैं :–

1. अपराध निरोध के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने तथा देखभाल करने में सरकार द्वारा हर स्तर पर नेतृत्व।
2. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की नीतियों में अपराध निरोध का एकीकरण।
3. सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज तथा व्यापार क्षेत्र का परस्पर सहयोग।
4. टिकाऊ तथा जवाबदेही विशेषकर प्रोग्रामों को स्थापित करने, बनाए रखने तथा मूल्यांकन हेतु लम्बे समय तक के लिए काफी संसाधनों का प्राविधान।
5. जानकारी पर आधारित कार्यवाही।
6. मानवीय अधिकारों का आदर, कानून सम्मत राज तथा न्यायपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा।
7. राष्ट्रों से परे संगठित अपराधों में स्थानीय अपराधियों की भूमिका का संज्ञान।
8. विशेष समूहों के लिए भिन्न–भिन्न युद्ध नीतियां विशेषकर बच्चों और लड़कियों के लिए, पुरूष एवं स्त्रियों के लिये तथा समाज के कमजोर तबके के लिए।

कम विकसित देशों के लिए यह सिद्धान्त शायद डरा देने वाले हों लेकिन एक सरकार के अनुसार– अपराध निरोध आरम्भ में शायद काफी महंगा दिखे लेकिन एक लम्बे समय के परिप्रेक्ष्य में इसके विकल्प रूप की अपेक्षा यह जीवन को गुणवत्ता तथा अपराध पर सीधे खर्चो की बदौलत कम खर्चीला है।

अपराध निरोधक प्लान बनाएं तथा इसकी समीक्षा करें:

एक राष्ट्रीय अपराध निरोधक तथा समन्वय प्लान के लिए आवश्यक है कि समाज तथा सरकार के विभिन्न खण्डों को मिलाया जाए। इन चुनौतियों तथा इनके कारणों को पहचान कर प्राथमिकताएं तथा सम्मानित दलों को तय करने के साथ ही यह भी रेखांकित करना चाहिए कि इसके लिए क्या संसाधन उपलब्ध है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होगा। स्थानीय स्तर पर प्लान को पूर्ण जानकारी देना चाहिए।

हालांकि एक सघन प्लान बनाना प्रथम कदम है, साथ ही युद्धनीतियां तथा अर्थ विशेष की लगातार समय–समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए ताकि यह परिपूर्ण, अर्थपूर्ण तथा प्रभावी बना रहे। पेशेवर मूल्यांकन इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा ऐसे प्लान के लिए ऐसे टिकाऊ साधन चाहिए जो छोटे, मध्यम तथा लम्बे समय की योजनाओं में कारगर हों।

अपराध निरोध में जानकारी का स्तर बढ़ाया जाए:
जैसे सुरक्षित स्कूलों से लेकर सार्वजनिक स्थानों के प्रबन्धन प्रभावकारी प्रैक्टिस तथा खास–खास विषयों पर सफल हुए प्रोग्रामों की पूरी जानकारी दूसरे देशों के साथ बांटने के लिए उपलब्ध है। लेकिन विकसित देशों में प्रयुक्त अपराध निरोधी कार्यक्रम शायद दूसरे देशों में लागू न हो सकें विशेषकर अपराध पर स्थानीय आंकड़े उपलब्ध न हों। प्रत्येक देशों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुभव युद्ध नीतियां ढालने की आवश्यकता भी है।

सहभागिता स्थापित करना:
हालांकि आम जनता और विभिन्न खण्डों में कार्यकारक कड़ियां बनाना अपराध निरोध का एक महत्वपूर्ण अंग है लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पर जनता शायद यह विचारे कि सुरक्षा निर्धारण पुलिस का ही काम है या कि सरकारी एजेंसियां गोपनीय समझौता के तहत दूसरे सहभागियों से जानकारी बांटने में आनाकानी करें।

जनशिक्षा इन रुझानों को बदलने का एक मार्ग है। उदाहरण के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने की युद्धनीति के एक हिस्से के रूप में ब्राजील की फेडरल सरकार ने एक जनआन्दोलन शुरू किया। इसमें उपलब्ध सेवाओं की जानकारी, शिकार के लिए 24 घंटे हाट लाइन तथा महिला पब्लिक सुरक्षा पर फोरम की श्रृंखलाएं शामिल थीं ताकि इन विषयों पर जन जागरण तथा रुचि बढ़े।

चुनौतियां और समाधान:
अपराध के जवाब में केवल न्यायिक तथा धमकाने वाले उपाय करना न तो सम्भव है, न बुद्धिमता और न ही नैतिक स्थाई विकास होता रहे इसके लिए प्रभावकारी अपराध निरोध परमावश्यक है क्योंकि अपराध तथा असुरक्षा में कमी होने से व्यापार तथा रोजगार की स्थिति में सुधार होता है तथा इससे अपने संसाधनों को आर्थिक सामाजिक प्रगति मोड़ना सुविधापूर्ण हो जाएगा बजाए अपराध नियंत्रण के।

यू.एन. गाइड लाइनों को स्वीकृत किये लगभग दस वर्ष हो चुके हैं और यह बारहवीं अपराध महासभा एक अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है कि यह परीक्षण किया जा सके कि कहां पर यह गाइड लाइनें कार्यकारी तथा प्रभावी सिद्ध हुई हैं और कहां पर उनमें सुधार हो सकता है।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

<u>तथ्य पत्र–6</u>

मानव देह व्यापारी तथा प्रवासी तस्कर :

बेहतर जिन्दगी खोजियों का बेजा फायदा उठाना

विश्व में चारों ओर सरकारों और गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों का वर्णक्रम फैला हुआ है। जिसमें मुट्ठी भर अराजकों के छोटे उपक्रम एवं गतिविधियों से लेकर वृहद देशान्तर व्यापी संगठित अपराध समूह शामिल है जिसमें कानूनी और गैर कानूनी सभी पात्र शामिल है। यह देशान्तर व्यापी संगठित अपराध का ऐसा गंभीर रूप है जिसमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर देने की जरूरत है।

तस्कर तथा धंधेबाज लोगों की कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए तत्पर हैं और जो जीवन में बेहतर अवसर पाने की तमन्ना रखते हैं उनको इसके लिए प्रेरणा तथा साधन उपलब्ध कराते हैं। उनके अपराध ज्यादातर बगैर दण्ड पाए ही निकल जाते हैं तथा सजा सुनाने की दर कम ही रही है।

मानवदेह व्यापार तथा प्रवासी तस्करी में अन्तरः

व्यापार में प्रायः ताकत, जबर्दस्ती, धोखा या किसी प्रकार से शक्ति का दुरूपयोग होता है। जिसके कारण व्यक्तिगत सहमति व्यर्थ हो जाती है तथा इसमें कुछ भाग तक लोगों का बेजा लाभ उठाना भी शामिल है। व्यापारियों को लाभ का जरिया किसी प्रकार इनके शिकारों का दुरूपयोग होता है जबकि तस्करों के लिये प्रवासी द्वारा दी गई शुल्क राशि उनकी आमदनी का मुख्य जरिया है और प्रायः जब प्रवासी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाता/जाती है उसके बाद उनका तस्कर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

विधिक ढांचाः

दो प्रोटोकाल ऐसे है जो अनुमोदित किये जा चुके हैं तथा लागू हो गए हैं : मानव देह व्यापार विशेषकर महिलाओं और बच्चों के रोकने, दबाने तथा दण्डित करने का प्रोटोकाल जिसके 135 राज्य सदस्य हैं तथा जल, थल तथा वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के विरूद्ध प्रोटोकाल जिसके 122 राज्य सदस्य हैं और इन दोनों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के देशान्तरीय संगठित अपराध के विरूद्ध कन्वेंशन जिसके 154 राज्य सदस्य हैं, सहायक हैं।

अपराधिक उद्योग के विभिन्न रूपः लघु इकाई से संगठित व्यापारी गैंग तकः

भर्ती करने, लाने से जाने और व्यापार के मामलों में दो या तीन अपराधी परस्पर सहयोग करते हुए किसी एक समय में एक सीमित संस्था के लोगों का फायदा उठाते रह सकते हैं। यह क्रिया–कलाप छोटे होते हुए भी इन समूहों को एक अल्पावधि में भी गौरतलब धनराशि अर्जित करा सकते है।

दूसरी ओर बड़े–बड़े देशान्तरीय नेटवर्क हैं जिनके द्वारा एक बड़ी संख्या में अराजक तत्व एक विस्तृत भौगोलीय खण्ड में कार्यरत हैं। अपने नेटवर्क द्वारा वे बृहत्तर संख्या में लोगों को लगातार यहां वहां भेजते रहते हैं और वे अधिक उद्यमी हैं तथा बराबर घुसपैठ के नए रास्ते या बन्दरगाह ढूंढ़ा करते हैं। वह नशीली दवाओं के व्यापार एवं हथियारों की तस्करी में भी लिप्त हो सकते हैं। यह बड़े–बड़े संगठित अपराधी समूह छोटे समूहों की अपेक्षा भ्रष्ट व्यापार अथवा सरकारी अधिकारियों के जरिये 'ऊपरी दुनिया' से जुड़े लोगों की ज्यादा संभावना रखते हैं।

अधिकतर प्रवासियों की तस्करी एक ही किस्म के अनुरूप होते हैं लेकिन साक्ष्य इंगित करते हैं कि यह संगठित अपराध के ज्यादा करीबी सहयोगी हैं। प्रवासी तस्कर बराबर सदस्य देशों द्वारा उन्हें विफल करने के लिये जारी संवर्धित उपायों का मुकाबला कर रहे हैं।

इन अपराधों की खोज, जांच पड़ताल, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियाः

प्रवासियों की तस्करी तथा मानवदेह व्यापार की जांच पड़ताल के लिए किये जा रहे प्रयत्नों को कई समस्याओं द्वारा रुकावटें डाली जा सकती हैं। मानव तथा पदार्थों के संसाधनों की कमी इसकी सबसे मुख्य समस्या है। इंफ्रास्ट्रकन्वर एक और बड़ी समस्या है। कुछ इकाइयों के पास यातायात या संवादी सुविधाओं की कमी हो सकती है। एक और समस्या सरकारी अफसरों तथा न्यायिक प्रवर्तन इकाइयों में भ्रष्टाचार तथा आपसी टकराव की है। उदाहरणार्थ अफसरों द्वारा किराया अथवा घूस लेकर व्यापारियों तथा तस्करों को बचाने से लेकर ऐसे अफसर है जो स्वयं ऐसे व्यापार या तस्करी में लिप्त हैं, जिनमें वेश्यालयों के मालिकाना हक जिसमें आयातित औरतें काम करती हों तक शामिल है।

इनमें से कई समस्याओं को जांचकर्ताओं, पुलिस अभियोजकों तथा जजों को ट्रेनिंग देकर हल किया जा सकता है। केन्द्रीकृत ट्रेनिंग द्वारा व्यापार के शिकारों की शीघ्र पहचान तथा तस्करी किये गये प्रवासियों की गवाही थे और उनकी स्वीकृति सहायक हो सकती है।

तस्करी से आए प्रवासीः

तस्करी में होने वाली मौतों तथा जख्मों की संख्या हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से बढ़ी है जो मानव जीवन के इस अपराध को दर्शाती है। तस्करी किये गये प्रवासियों को बहुधा ही मानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार याकि जान जोखिम जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है।

जल के रास्ते में अथवा जिस देश को जा रहे हैं वहां पहुंचते हैं उस समय पकड़े जाने पर जब तक तस्करीकृत प्रवासियों के अधिकार को स्वीकृति नहीं मिलती तब तक आपराधिक न्याय प्रणाली इन तस्करीकृत प्रवासियों को उनके तस्करों के विरुद्ध गवाह के रूप में पेश करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे ऐसी संभावना है। यथार्थ रूप में जो लोग तस्करों द्वारा लाए गए हैं उनसे पूछताछ प्रवासी तस्करी का एक उपेक्षित हिस्सा है। अधिकतर इन तस्करीकृत प्रवासियों को उनके मूल राष्ट्र को वापस भेज दिया जाता है।

व्यापार के शिकारों की सुरक्षाः

पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य तथा समाजसेवी स्टाफ तक के जो लोग भी इन शिकारों के सम्पर्क में आते हैं उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि ये इस व्यापार के पीड़ितों को पहचान सके तथा उसकी जरूरतों के प्रति सजग हों।

अभियोजनकर्ताओं तथा जजों की भी जरूरत है कि वे व्यापार की प्रकृति को समझें तथा इन्हें दोबारा प्रताड़ित करने से बचें। कोर्ट कार्यवाहीं में इन पीड़ितों को उनके व्यापारियों से बचाने के कई तरीके हैं जैसे वीडियों टेप की हुई गवाही तथा रक्षा कवचों का प्रयोग।

राज्यों को चाहिए कि वे इन पीड़ितों की, जब वे वापस लौट चुके हों तथा बराबर निगरानी करें ताकि वे पुनः पीड़ित न हो सकें और दोबारा इस व्यापार के शिकार न हों। अन्त में पीड़ित को सजा न देने के सिद्धान्त की रेखानुसार राज्यों को चाहिए कि ये इन पीड़ितों के लौट आने पर उन पर कानूनी या आर्थिक दण्ड थोपने से बचें।

तस्करी तथा मानवदेह व्यापार की रोकथामः

मानवदेह व्यापार को रोकने तथा इससे लड़ने के लिए प्रभावी कार्यवाही के लिए जरूरी है कि एक सघन अन्तरराष्ट्रीय तरीका हो, जिसमें व्यापार के पीड़ितों की मांग घटाने तथा लोगों की जागरुकता बढ़ाना भी शामिल हों। जागरुकता आन्दोलन इसमें संभावी शिकारों की कमी करने में सहायक होते हैं लेकिन इस व्यापार चक्र को बगैर इसकी मांग से जूझे तोड़ा नहीं जा सकता है।

इस पूर्ति के मूल में गरीबी, लिंगभेद, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक आर्थिक दबाव जैसे कई घटक हैं, लेकिन इस बात से इंकार नहीं जा सकता कि जिन देशों में भेजे जाते हैं वहां होने वाली मांग ही वह लाभ बनाती है जो यह व्यापारी कमाते हैं।

तस्करी रोकथाम करने के लिए जरूरी है कि जो नेटवर्क इसमें लिप्त हैं उनको तोड़ दिया जाए और इनके साथ ही इन कारणों, जिनमें यह पनपती हैं से मुखातिब हुआ जाए और इसके साथ ही तस्करी किये इन प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा भी होती रहे।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

unicindia@unicindia.org

<u>तथ्य पत्र–7</u>

मनी लान्डरिंग से भिड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्देशिका को पूरी तरह लागू करने की आवश्यकता

मनी लान्डरिंग से जूझने तथा इसमें लिप्त अपराधियों को न्यायपालिका में पेश करने के लिए और अधिक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। वर्तमान में अनेकों विधिक तथा कार्यकारी अड़चने सदस्य राज्यों द्वारा और प्रभावी ढंग से मनी लान्डरिंग की जांच करने के रास्ते में मौजूद हैं। गैरकानूनी सम्पत्तियों की खोज करने पकड़ने तथा जब्त करने के लिए राज्यों को बहुधा आपस में सहयोग करने की जरूरत होती है लेकिन वास्तव में ऐसा कठिन है।

सदस्य राज्यों में परस्पर सहयोग आपसी विधिक सहायता के सिद्धान्त, जैसा कि कई अन्तरराष्ट्रीय अनिवार्य नियमों द्वारा उल्लेखित हैं, पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाओं तथा मनोवैज्ञानिक पदार्थों के गैर कानूनी व्यापार विरोधी कन्वेन्शन 1988 का कन्वेन्शन देशान्तरीय संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन, (यू एन टी ओ सी) तथा भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन (यूएसीएसी) में विशेष नियमावली है जिसे स्वीकार करके सदस्य राज्य मनी लान्डरिंग से जूझ सकते हैं।

लेकिन विधिक सिस्टम में मतभेद तथा सीमित आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों को सदस्य राज्यों द्वारा आपस में इन कन्वेन्शन के सार्थक प्राविधानों को लागू करने की क्षमता प्रभावित करते हैं। यहां पर प्रभावी परस्पर सहयोग द्वारा इसके ऊपर नई मनी लान्डरिंग तकनीकें तथा स्कीमें, जिनमें, जितने व्यापारी लेन–देन का गलत इस्तेमाल विषम कारपोरेट ढांचे भुगतान के नए तरीके तथा दूसरे भुगतान सिस्टम शामिल हैं इस समस्या के कई सिरों वाले सांप जैसा बना देते हैं।

विधिक अड़चनें क्या हैं:
सबसे सामान्य रुकावटी पत्थर हैं जो कि पारस्परिक विधिक सहायता देने के अड़चन उत्पन्न करता है वह है, दोतरफा अपराध स्थापित करना, किसी कार्य को आपराधिक वरदात माने जाने के लिए उसे प्रार्थना करने वाली और प्रार्थना पाने वाले दोनों राज्यों कें कानूनों के अनुसार वैसा होना चाहिए।यदि इसे कड़ाई से लागू करें तो कभी–कभी इसका गैर इरादतन नतीजा होता है कि यह एक राज्य को दूसरे की किसी जांच में सहायता करने से रोक देता है।

बहुत से सदस्य राज्यों को कभी भी यूएनटीओ तथा यूएनसीएसी कई उपायों को पूरी मंजूरी देना बाकी है, ताकि इस समस्या से जानबूझ कर किये कार्यों की लिस्ट को आपराधिक वारदात घोषित करना–मुखातिब हुआ जा सकें।

जैसे कि यूनएनटीओसी तथा यूएनसीएसी में परिकल्पित हैं, सदस्य राज्य इच्छानुसार परस्पर विधिक सहयोग देने पर विशेष कारणों से मंजूरी या नामंजूरी दे सकते हैं लेकिन कुछ मामलों में वे कुछ अधिक ही बन्दिशें लगाते हैं। वैसे कुछ कम औपचारिक मार्ग भी हैं जिनके द्वारा परस्पर विधिक सहायता मिल सकती है, जैसे मेमोरैण्ड ऑफ अन्डर स्टैन्डिग विटवीन नेशनल काउन्टरपार्ट्स, और प्रान्तीय या अन्तरराष्ट्रीय संगठन जैसे इन्टरपोल तथा एमोन्ट ग्रुप ऑफ फाइनेशल इंटेलीजेन्स यूनिटस।

और यदि, जहां पर जानकारी के आदान प्रदान के द्वार हैं, सदस्य राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कठोर गोपनीयता नियम आर्थिक ,पेशेवर या व्यापारिक गोपनीयता नियमों के अन्तर्गत आने वाली जानकारी पाने या उस तक पहुंचने के मार्ग अन्तरराष्ट्रीय सहायता प्रार्थना पर सहयोग देने जैसे कम औपचारिक मार्गों तक ही सीमित न रहें बल्कि स्वेच्छा से जानकारी अदान–प्रदान करने की सुविधा सहित हो जो किसी दूसरे न्यायाधिकरण में स्थित अधिकारियों के लिए भी लाभदायक हो।

मनी लान्डरिंग के विरुद्ध लड़ाई की चुनौतियां:

कम या अधिक बीजकों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के जरिये मनी लान्डरिंग एक गंभीर चुनौती है। सामान की कई बीजक तैयार करना भी एक सामान्य तथा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के आंकड़ों का आदान–प्रदान तथा तुलना करने की क्षमता इस प्रकार के अपराधों की खोज तथा जांच के लिए बेहद अहम हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार तथा गति द्वारा प्रदत्त गुमनामी मनी लान्डरिंग के अपराधों की खोजबीन तथा अभियोजन को और भी अधिक जटिल बना देता है।

इस लगातार फैल रहे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के आयतन के सापेक्ष अधिकतर देशों के पास इतने संसाधन नहीं कि वे सारे आयात एवं निर्यात व्यापार अदान–प्रदान पर नजर रख सकें। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में खोखली कम्पनियां बनाने की उपलब्धता तथा दूसरी सम्भावनाओं तथा जिस आसानी से कारपोरेट इकाइयां बनाईं तथा विधिक व्यवस्थाएं बनाई तथा समाप्त की जा सकती हैं– गठबन्धन से इस सबके पीछे के शख्स की पहचान कर पाना लगभग असंभव है।

भुगतान प्रणाली की दूसरी प्रणालियां जो औपचारिक बैंकिग क्षेत्र से इतर हैं द्वारा सीमा पार धन भेजना–जो अक्सर नकद के रूप में होता है– एक और मनी लान्डरिंग विधा है जिसका पीछा करना या चिन्हित करना बहुत कठिन है, लेकिन जहां यह प्रणालियां अपराधियों को अपने अपराध की आमदनी को होने का आसान मार्ग प्रदान करती हैं वहीं प्रवासी कर्मियों द्वारा इसका उपयोग अपने घर–परिवारों को धन भेजने के लिए भी होता है और यह विकासशील विश्व के कुछ देशों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

अन्त में, इन्टरनेट द्वारा भुगतान प्रणाली द्वारा प्रदत्त गुमनामी, प्रीपेड कार्ड तथा मोबाइल द्वारा भुगतान मनी लान्डरिंग करने वालों के लिए एक आसान तथा आदर्श दुरुपयोग करने का मार्ग है। उदाहरण के लिये क्रेडिट कार्ड कम्पनियों द्वारा जारी किये गए प्रीपेड कैश कार्डों को माल खरीदने या नकद निकालने के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जा सकता है। एक अपराधी भारी मात्रा में इन्हें खरीदकर इस सुविधा का दुरुपयोग कर सकता है। साथ ही, इस प्रकार की कई प्रणालियों का अन्तरराष्ट्रीय प्रारूप सदस्य राष्ट्रों के लिए इनको चलाने वाली कम्पनियों को नियमित करना या उन पर रोक लगाने में कठिनाई उत्पन्न करता है।

क्या करना चाहिएः

सदस्य राष्ट्रों को चाहिए–

- यू एन कन्वेन्शन के दिये गए प्रावधानों के अनुसार मनी लान्डरिंग अपराधों का नियमन करें।
- वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण जिनमें व्यापार और दूसरे भुगतान शामिल हैं।
- घरेलू प्राधिकरण के पास मनी लान्डरिंग अपराधों की खोजबीन के लिए व्यापक शक्तियां ?
- सुनिश्चित करें कि परस्पर विधिक सहायता के प्राविधान अनावश्यक रूप से बाधित करने वाले नियमों के अधीन न हो।
- संबंद्ध अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग तथा जानकारी दें।
- घरेलू स्तर पर स्वतः जानकारी अदान–प्रदान तथा सहकारिता को बढ़ावा दें।
- अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्त कारणों पर विचार करें।
- अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत नियमावली लागू करें तथा सुननिश्चित करें कि अपराधी नए भुगतान तरीकों को मनी लान्डरिंग के लिए प्रयोग न कर सकें।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

तथ्य पत्र–8

मामूली अन्तरराष्ट्रीय सहयोग –साइबर अपराधियों का बच निकलना आसान बनाता है

तेजी से विकसित होते तथा बदली सूचना तकनीक के स्वरूप तथा इसके साथ ही पिछले दशक में तीव्रता से फैलते वर्ल्डवाइड वेब (डब्लू.डब्लू.डब्लू) तथा सूचना आदान–प्रदान की गति में प्रतिपादन की चढ़ाव ने साइबर अपराधों की खोजबीन को एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना दिया है। 1997 के अन्त तक विश्व की जनसंख्या का कुल 1.7 प्रतिशत –7 करोड़ लोग ही इन्टरनेट का प्रयोग करता था, 2009 में उपयोग करने वालों की तादाद अनुमानत 1.9 अरब तक बढ़ चुकी थी जो विश्व की जनसंख्या का 26 प्रतिशत है जो कि आईटीयू अन्तरराष्ट्रीय टेली कम्यूनिकेशन यूनियन द्वारा जारी नवीनतम आकड़ों के अनुसार ऐसा है।

फिर भी आधी शताब्दी के वाद–विवाद के बाद भी साइबर अपराधों की शक्ल में तकनीक का ये दुरुपयोग वर्तमान वर्षों में कानून बनाने व लागू करने वालों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। परम्परावादी अपराधों की तुलना में इलेक्ट्रानिक/साइबर अपराधों से निपटने में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की स्थिति चौंका देने वाली हद तक अविकसित है।

समस्या का स्वभाव या विस्तारः
वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रानिक/साइबर सेवाओं की उपलब्धता का अर्थ है कि साइबर अपराध प्राकृतिक रूप से देशान्तर आयाम का है। यहां तक कि एक साधारण सी सेवा जैसे एक प्रेषक द्वारा पाने वाले को अपने–अपने देश में ही ई मेल भेजना, में भी देशान्तर स्वभाव का अणु उपस्थित होता है यदि उसमें से एक भी देश से परे स्थित किसी प्रोवाइडर द्वारा संचालित सेवा का प्रयोग करता है। कुछ लोकप्रिय ई मेल सेवाएं जिनके उपभोक्ता पूरे विश्व में फैले हैं द्वारा यह चित्रण कर सकते हैं कि देशान्तरीय साइबर अपराध कितना विस्तार पा सकता है।

देशों में परस्पर सामायिक तथा प्रभावी सहयोग किसी जांच पड़ताल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि परम्परागत अपराध के जांचकर्ता के बनिस्बत साइबर अपराध के जांच कर्ता के पास उपलब्ध समय बहुत कम होता है। बडी–बड़ी फाइलें चन्द मिनटों में डाउनलोड हो जाती हैं। हालांकि कुछ परस्पर विधिक सहायता समझौते किये जा चुके हैं फिर भी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक तीव्र प्रत्युत्तर देने के लिए प्रक्रिया बनाना महत्वपूर्ण है।

साइबर अपराध एक अति आवश्यक मुद्दा है जिस पर तुरन्त तथा समन्वीय प्रत्युत्तर होना चाहिए, इस पर सार्वभौमिक सहमति के बावजूद इस समस्या के आकार की गणना करना बहुत कठिन हैं। ऐसे में इसके विभिन्न अवतार तथा विग्रहों को तो छोड़ ही दें। प्राथमिक राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी भी साइबर अपराध को अलग नहीं गिनती अतएव गिरफ्तारी अभियोजन तथा दण्ड पर विश्वसनीय जानकारी मिलाना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है।

बहुधा साइबर अपराध की सूचना नहीं दी जाती है जिसके अनेकों कारण हैं जैसे उदाहरणार्थ आर्थिक क्षेत्र के पीड़ित जैसे–बैंक साइबर अपराध की सूचना नहीं देते क्यों कि उन्हें डर होता है कि इससे उनके सम्मान की हानि जैसा नुकसान हो सकता है अगर वह ऐसी हैंकिंग की सूचना देते हैं।

वैश्विक तीव्रगामी प्रत्युत्तर नेटवर्क की महत्ताः
यह तथ्य कि साइबर अपराध तब भी हो सकता है जब अपराधी तथा उनका निशाना एक ही स्थान पर न हो इसलिए परम आवश्यक हो जाता है कि देश परस्पर कार्य करने के लिए एक पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली विकसित करें, लेकिन कानूनों में प्रान्तीय मतभेद इसके लिए एक रोड़ा हैं, विशेषकर साइबर अपराध के सन्बन्ध में एक देश में गैर कानूनी बनी सामग्री दूसरे देश में एक साइबर पर कानूनन उपलब्ध हो सकती है। ज्यादातर पारस्परिक विधिक सहायता दोहरे अपराध पर आधारित है–जहां ऐसे मामलों में ही जांच की जाती है जो सारे प्रभावित क्षेत्रों में अपराध हो अतः जब कानून आपस में मिलते नहीं यह समस्या बन सकती है।

अपराधियों को सुरक्षित स्थान मुहैया कराना साइबर अपराध रोकथाम में एक चुनौती है। यह सुरक्षित स्थान अपराधियों को अपनी कारगुजारियां करने की छूट देने के साथ ही जांच को बाधित करता है। इसका एक उदाहरण 'लवबग' है जो सन् 2000 में फिलीपाइन्स में विकसित हुआ था तथा जिसने लाखों कम्प्यूटरों को विश्व भर में प्रभावित किया।

साइबर अपराध तथा संगठित अपराध की कड़ियां:

साइबर अपराध में संगठित अपराधों की लिप्तता की प्रकृति दो प्रकार की हैः सूचना तकनीक का संगठित अपराधी समूहों द्वारा हाईटेक अपराधों जैसे साफ्टवेयर की लूट तथा बाल यौन अपराध तथा आईडी की चोरी में लिप्त होने जाने का हैं।

क्या हो रहा है क्या नहीं:

विधि निर्माण को विकसित तथा उसका मानवीकरण करने की कोशिश में कई प्रान्तीय आरम्भिक उपाय किये गये हैं।

• कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर संबंधी अपराध पर कामनवेल्थ मॉडल कानून में आपराधिक तथा प्रक्रिया संबंधी कानून व अन्तरराष्ट्रीय सहयोग निहित है, लेकिन इसका प्रभाव कामनवेल्थ देशों में ही हैं।

• यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने भी कई रास्ते अपनाए हैं जिनमें डाइरेक्टिव ऑन काम्बेटिंग टेररिज्म में संशोधन शामिल है। इन इयू साधनों को सारे सदस्यों को लागू करना आनिवार्य है।

• काउन्सिल ऑफ यूरोप ने तीन मुख्य साधन विकसित किये हैं जिनसे साइबर अपराध विधिक निर्माण सुसंगत हो सके– इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है– कन्वेन्शन आन साइबर क्राइम जो 1997 तथा 2001 के मध्य विकसित किया गया।

इन कन्वेन्शन में महत्वपूर्ण आपराधिक कानून, प्रक्रिया संबंधी कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के प्राविधान हैं। एक प्रथम सहायक प्रोटोकाल टू द कन्वेन्शन ऑन साइबर क्राइम 2003 में पेश की गई। 2007 में काउन्सिल ऑफ यूरोप कन्वेशन ऑन दि प्रोटेकशन ऑफ चिल्ड्रेन को हस्ताक्षर करने के लिए खोला गया। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की अदला–बदली, के साथ चाइल्ड पोनोग्राफी तक संवादसूत्री तकनीक द्वारा पहुंचने तक को अपराध घोषित करने के प्राविधान हैं।

साथ ही कई वैज्ञानिक पहल भी की गई हैं जैसे स्टैनफोर्ड ड्राफ्ट इंटरनेशनल कन्वेन्शन (सीआईएसएसी) जिसे 1999 में यूनाइटेट स्टेटस की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एक कांफ्रेस के फालोअप के तौर पर विकसित किया गया था तथा आई टी यू साइबर क्राइम लेजिस्लेशन टूलकिट जिसे अमरीकन बार एसोशिएशन तथा दूसरे विशेषज्ञों ने विकसित किया। लेकिन इन सबका वैश्विक असर सीमित है क्योंकि यह केवल सदस्य राज्यों में ही लागू हो सकते हैं। वर्तमान समय में काउन्सिल ऑफ यूरोप कन्वेन्शन ऑन साइबर क्राइम की पहुंच सबसे विस्तृत है 46 राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित तथा 26 द्वारा अनुमोदित।

इन्टरनेट की नई पब्लिक सिक्यूरटी फिनोमिना जैसे आतंकियों द्वारा इन्टरनेट का प्रोपोगण्डा के लिए उपयोग, इन्टरनेट सम्बन्धित भुगतान द्वारा आतंकियों को धन मुहैया कराना तथा संभावित शिकार सम्बन्धी जानकारी जमा करना– के उदय से देशों के परस्पर मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता और जरूरी है।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

तथ्य पत्र–9

देशान्तरीय अपराध के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी

अपराधी उद्योग प्रभावी रूप से भौगोलिक, भाषायी तथा विधिक सीमाओं के आर पार सक्रिय हो चुके हैं। इसी दौरान आपराधिक न्याय प्राधिकरण अभी अप्रभावी, अपूर्ण तथा सुस्त सहयोग तक पाने के लिए संघर्षरत हैं। सख्त विधिक प्रणाली और पुरानी प्रक्रियाएं बदलाव में रोक लगाती हैं जबकि इनके अनुकूल बन चुके अपराधी राष्ट्रीय समाज तथा वैश्विक आर्थिक प्रणाली में लगातार और ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं।

अगर देशान्तरीय अपराधी बदलते वैश्विक पर्यावरण में सरकारों से ज्यादा तेजी से इसके अनुकूल बनते जा रहे हैं तो विभिन्न समाज के खर्चे पर अपराधी और ज्यादा शक्तिशाली होंगे, संसाधनों पर प्रभुत्व बढ़ा लेंगे तथा लाभ उठाएंगे।

सरकारों को कानून सम्मत राज को मानना ही होता है, अपराधियों पर कोई नैतिक या अन्य अवरोध नहीं होता। फिर भी आपराधिक मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने में अप्रश्नीय सुधार हो रहे हैं। फिर भी सीमाओं आर–पार सहयोग में गति बढ़ाना सुविधाओं तथा बारम्बारता में मौलिक परिवर्तन होना बहुत दिनों से लम्बित पड़ा है। प्रत्यावर्तन रिवाज परस्पर सहायता, सम्पत्ति जब्तीकरण तथा दूसरे प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय सहयोग बनाना आवश्यक है और यदि अन्तरराष्ट्रीय अपराधीकरण नियंत्रित करना है तो इसे जल्द से जल्द करना चाहिए।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए वैधानिक ढांचाः
एक उल्लेखनीय मील का पत्थर सन् 1988 में स्थापित हुआ था जब नशीली दवाओं तथा मनोवैज्ञानिक तौर पर हानिकारक पदार्थो के गैरकानूनी व्यापार विरोध संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन तय किया गया था। इस समझौते द्वारा प्रत्यावर्तन अथवा मुलजिम ड्रग अपराधी पर अभियोजन सिद्ध करना, परस्पर वैधानिक सहायता देना, दवाओं की आमदनी या उतनी ही मूल्य की सम्पत्ति जब्त करना तथा कानून लागू करने में सहयोग करने को अनिवार्य कर दिया गया था।

अब जबकि अपराधीगण किसी भी लाभदायक उद्यम को बगैर इसकी प्रकृति अथवा स्थान की चिन्ता करने को तत्पर हैं, देशान्तरीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन सन् 2000 उन लोगों के लिए जो गंभीर सीमा पार अपराध में लिप्त हैं, को रोकने तथा सजा देने के लिए एक विस्तृत वैधानिक ढांचा प्रदान करना है।

यह कन्वेशन हर प्रकार को लाभ कमाने को प्रेरित अपराधी समूहों के विरुद्ध सहयोग करने के लिए ऊपरी ढांचा प्रदान करते हैं, फिर भी उनके प्रभावी उपयोग में रोड़े मौजूद हैं।

प्रत्यावर्तन अवश्यकताओं, परस्पर विधिक सहायता तथा दोहरे अपराधों में कठिनाईयांः
दोहरे अपराधीकरण जिसका अर्थ है ऐसे अपराध जिसके लिए सहयोग अपेक्षित हैं वह प्रार्थना करने वाले तथा प्रार्थना पाने वाले देशों में दण्डनीय हो, ही परस्पर वैधानिक सहायता में बड़ा रोड़ा है।

प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन राज्यों को अवसर देता है कि वे कन्वेन्शन के किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो उसके अपने घरेलू विधि के अनुसार दण्डनीय न हो, प्रत्यावर्तन प्रदान कर दें। यह पारम्परिक प्रत्यावर्तन सन्धियों से एक उल्लेखनीय अलगाव है लेकिन यह एक ऐसी उपलब्धि भी है जिसका समय आ गया है।

प्रत्यावर्तन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। कई प्रक्रिया सम्बन्धी अड़चनें देरी पैदा करते हैं तथा संसाधनों का अपव्यय करते हैं, प्रत्यावर्तन के आधार की चिन्ता किये बगैर ही दवाओं तथा अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूनोडीसी) द्वारा विकसित किये गये कम्प्यूटर अप्लीकेशन म्युचुअल असिस्टेंस रिक्वेस्ट रायटर टूल का प्रयोग करके विधिक सहायता के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग नाटकीय रूप से सुधारा जा सकता है।

राज्यों को मानना चाहिए कि वे समझें कि दवाई तथा अपराध कन्वेन्शन को उनके पूर्ण शक्तिनुसार उपयोग करना है तो उन्हें ऐसी वैधानिक नीति अपनानी होगी ताकि प्रत्यावर्तन, परस्पर सहायता और अपराधों की रोकथाम तथा जब्ती की कार्यवाही में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

जांच पड़ताल में सहयोगः

जांच पड़ताल में सहयोग का वैश्विक प्रारूप 184 देशों में नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो वाली इन्टरपोल हैं, इसकी सहायक हैं सारे विश्व के प्रान्तीय पुलिस नेटवर्क, इनमें से ज्यादातर की खुली व प्रतिबन्धित बेवसाइट हैं। खुली बेवसाइटों द्वारा नेटवर्क सदस्यों को अन्तरराष्ट्रीय सहयोग पर उपयोगी विधि नियमों की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार इसकी पारदर्शिता तथा प्रभाव बढ़ाने में उपयोगी योगदान देते हैं। विदेशी कानूनो या ज्ञान का अन्तरराष्ट्रीय कार्य प्रणाली की जानकारी ही एक सफल अथवा असफल प्रार्थना के बीच की भिन्नता को जतलाती है।

इसका एक उदाहरण इन्टरपोल की 2 करोड़ खोये या चोरी गए पासपोर्ट का डाटाबेस है। इन यात्रा दस्तावेजों का उपयोग सीमा पार कर अपराध करने वालों द्वारा अपराध करने तथा कानून से बच निकलने में किया जाता है। अब सदस्य राष्ट्र किसी भी यात्रा विवरण को स्कैन करके या मानवीय उपयोग द्वारा इन्टरपोल नेटवर्क की डाटावेस में इसका नम्बर भरकर चन्द सेकेन्ड में ही जान सकते हैं कोई चुराया हुआ पत्र इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।

उपसंहार तथा संस्तुतियांः

अगर राष्ट्रीय प्राधिकरण अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को और प्रभावी बनाने की मशीनरी स्वीकृत नहीं करते या ऐसा जल्द ही नहीं करते वे अपनी अर्थ व्यवस्था तथा समाज का एक बड़ा भाग स्वयं से ज्यादा लचीले कल्पनाशील तथा सफल हुए अपराधी विरोधियों को गंवा देंगे।

अन्तरराष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को नशीली दवाओं के व्यापार से होने वाले खतरों के प्रति संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउन्सिल को सम्बोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने संज्ञान में लिया कि इस तरह के अन्तरराष्ट्रीय खतरे से कोई भी देश अकेले नहीं जूझ सकता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ''यह संघर्ष एक विस्तृत अन्तरराष्ट्रीय तरीका चाहता है जो सहभागी जिम्मेदारी पर आधारित हो। राष्ट्रों को चाहिए कि वे इन्टेलीजेन्स बांटे, मिल जुलकर कार्रवाई करे, क्षमता बढ़ाएं तथा परस्पर वैधानिक सहायता प्रदान करें। अब तक तो संगठित अपराध नेटवर्क के परस्पर सहयोग की तुलना में सरकारों का आपसी सहयोग फिसड्डी ही रहा है।''

महासचिव की दवाओं के व्यापार पर अन्तरराष्ट्रीय कम्यूनिटी के नाकाफी प्रत्युत्तर पर टिप्पणी दूसरे प्रकार के संगठित अपराधों पर भी लागू होती है। अपराध के वैश्विक प्रकृति तथा संगठित अपराध नेटवर्कों के भीतरी व परस्पर सहयोग से जूझने में विभिन्न सरकारों में परस्पर सहयोग में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। इसके परिणाम स्वरूप यह खाई लगातार बढ़ रही है अपराधी ज्यादा फुर्तीले हो रहे हैं जबकि आपराधिक न्याय प्राधिकरण पुरानी उन्हीं प्रक्रियाओं से ही जूझ रहे हैं जो अब विश्व के किसी काम की नहीं।

हर एक राष्ट्र को कुछ ऐसे मूल विदेशी सहायता सम्बन्धी कानूनों की आवश्यकता है जिनके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की अनुमति मिले जब भी यह राष्ट्र हित में हो, चाहे यह परस्पर आदान प्रदान पर कमिटी या एक हॉक समझौते या पारम्परिक संधि पर आधारित हों। अन्तरराष्ट्रीय अपराधी समूहों से प्रभावी तौर पर स्पर्धा करने के लिए कानून सम्मत समाज को व्यापक परिवर्तनों की जरूरत है।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003

unicindia@unicindia.org

तथ्य पत्र–10

भेदभाव, हिंसा, दुरुपयोग से पीड़ित प्रवासियों की वास्तविकता

घर छोड़कर जाना आसान काम नहीं, प्रायः परिवार और सब कुछ जो पहचाना है उसे भी चाहे जो भी परिस्थितयां हो जो इसे बढ़ावा दे रही हो– किसी ऐसे अनजाने स्थान पर जहां भाषा से लेकर खाना, संस्कृति और लोग एकदम भिन्न हों और यह भी न पता रहे कि मंजिल तक पहुंचेगे या नहीं। इसके बावजूद कोई 214 मिलियन अन्तरराष्ट्रीय प्रवासी मौजूद हैं जो आजकल की विश्व जनसंख्या का 3.1 प्रतिशत हैं। लोकप्रिय अनुमान के विपरीत प्रवासी आवागमन का केवल 37 प्रतिशत ही विकासशील से विकसित देशों में हुआ है – ज्यादातर लोग उन्हीं देशों में जाते हैं जहां का विकास लगभग एक ही प्रकार का हो।

अपने बेहतर जीवन की तलाश में प्रायः दर्दनाक परिस्थितियों से पलायन करते हुए जैसे युद्ध नागरिक उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाएं– प्रवासी हिंसा तथा उत्पीड़न के शिकार हो सकते हैं। यह कई रूप अपना सकता है, जैसे मानव देह व्यापार के शिकार हो जाने से लेकर यात्रा पूरी करने तक जिन्दा न रह पाना जैसा खतरा, जब उसे तस्करी द्वारा ले जाया जा रहा हो, शिक्षा आर्थिक तथा सामाजिक अवसरों में भेदभाव–यहां तक कि घर तथा रोजगार तबके में भेदभाव।

यद्यपि प्रवास करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर राष्ट्र को छूती है किसी मूल स्थान रूपक या मार्ग की अथवा मंजिल तक, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के शब्दों में, ''प्रवासियों की एक बड़ी संख्या के लिए असलियत है भेदभाव, उत्पीड़न तथा दुरुपयोग''। मौजूदा आर्थिक संकट ने उन परिस्थितियों को बढ़ाया है जो प्रवासियों को कमजोर बनाते हैं तथा उत्पीड़न के शिकार होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है।

यद्यपि अनेकों कन्वेन्शन तथा अन्तराष्ट्रीय समझौतों में प्रवासियों की सुरक्षा को सम्बोधित किया गया है, प्रवासियों की तस्करी पर प्रोटोकल, जिसे 5 जनवरी 2010 को 122 राष्ट्रो द्वारा अनुमोदित किया गया, की महत्ता इस तथ्य से हुयी है कि यह पहला विधिक रूप से अनिवार्य ऐसा वैश्विक साधन है जो प्रवासियों की तस्करी को मानवदेह व्यापार से भिन्न एक सर्वमान्य परिभाषा प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रपत्र है सभी प्रवासी कामगारों तथा उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन जिसे जनरल असेम्बली द्वारा 1990 में अपनाया गया तथा जो 2003 में लागू हो गया। यह नियमित तथा अनियमित हर प्रकार के प्रवासी कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने वाला सबसे विस्तृत अन्तरराष्ट्रीय मानवीय संधि है।

प्रवासियों के उत्पीड़न की व्यापकता नापना कठिन है– आंकड़े छुटपुट हैं तथा उनका अर्थ निकालना बेहद विवादास्पद। शुरुआती तौर पर, प्रवासियों में एक अपने ऊपर हुए अपराधों की रपट करने के प्रति एक नैसर्गिक अवरोध होता है। उत्पीड़न पर सर्वेक्षण इस प्रकार की श्रेणियां उपयोग करते हैं जैसे विदेशी, अल्पसंख्यक समूह इत्यादि जो प्रवासियों की परिभाषा में प्रायः आते। ''अनियमित'' प्रवासी जिनका आधिकारिक रिकार्ड नहीं है वे इनमें शामिल नहीं किये जाते।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रवासी कई विस्तृत प्रकार के अपराधों के शिकार बनते हैं तथा इनमें से कई बगैर रिपोर्ट किये गुजर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों में सन् 2008 में अल्पसंख्यक समूहों में हर चार में से एक कम से कम एक अपराध का शिकार हुआ था।

प्रवासी कामगारों के प्रति हिंसा समस्या की प्रकृतिः

कई पश्चिमी देशों में विदेश में जन्मे हुए कामगारों का प्रतिशत कुल कामगारों की संख्या का 10 प्रतिशत हैं। यह संख्या काफी बड़ी है तथा अफ्रीका एशिया तथा अमेरिका के कई देशों में बढ़ती रही है और कुछ खाड़ी देशों में यह 60 से 80 प्रतिशत तक जा पहुंची है।

कई प्रवासी कामगारों ने विभिन्न तरीके की हिंसा तथा दुर्व्यवहार को भोगा है, विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में। इसमें कम तनख्वाह (या कोई तनख्वाह नहीं) का काम, लघु समय अनुबन्ध या कोई अनुबन्ध तक नहीं, ज्यादा लम्बे काम

के घंटे न्यूनतम वेतन या उससे कम पर या 3–डी कार्य जैसे गन्दे, खतरनाक या कठिन काम शामिल हैं। कई स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रीय कामगार गुलामों जैसी परिस्थितियों जैसे खदानों तथा कृषि कार्यों तथा दूसरे कार्यों में सामना करते हैं। चमचमाते भविष्य के वादों से धोखा खाये यह लोग स्वयं को भारी कर्जदार बना हुआ पाते हैं तथा वापस जाने की चेष्टा करने पर जबर्दस्ती तथा हिंसा का सामना करते हैं।

महिलाएं विशेष कमजोर हैं– सन् 2005 में कोई 94.5 मिलियन महिलाओं ने प्रवास लिया जो सारे विश्व के प्रवासियों का लगभग 50 प्रतिशत हैं।

शारीरिक हिसां के अलावा प्रवासी अक्सर ऊंचे स्तर के भेदभाव का निशाना बनते हैं जिनसे उनका उत्पीड़न होता है। एक यूरोपियन स्टडी उदाहरण के तौर पर दर्शाती है कि कुछ समूहों के लिए शिक्षा तथा रोजगार में भेदभाव की विशेष समस्या है जिससे वह उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली एक और क्षेत्र है जहां प्रवासियों को गैर बराबरी के व्यवहार का सामना करना होता है। ऐसा विदेशियों के साथ ही ज्यादातर हो रहा है और कहीं–कहीं तो वे कुल कैदियों की जनसंख्या का 30 प्रतिशत हिस्सा तक की संख्या में हैं।

समस्या का निबटाराः

इस विषय को कई स्तरों पर सम्बोधित करना होगा। नियमित तथा अनियमित प्रवासियों के मूल अधिकार को स्वीकारने की आवश्यकता है। पीड़ितों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने की तथा इस बारे में विधिक नियमों की जरूरत है। रोजी देने वालों को समझना होगा कि सुरक्षा के उपाय करना उनकी जिम्मेदारी है तथा अन्त में प्रवासियों को स्थानीय भाषाओं में क्षमता हासिल करना चाहिए जिससे वह सक्षम बनेंगे।

सबसे बड़ी चुनौती है प्रवासियों के लिये न्याय तक पहुंचना आसान बनाना तथा प्रवासियों एवं पुलिस के बीच रिश्तों की बेहतरी। जागरुकता बढ़ाने वाले आन्दोलन तथा प्रवासियों को शक्तिशाली बनाना इस लक्ष्य की तरफ पहला कदम है।

यद्यपि प्रवासियों कामगारों तथा उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने वाला अन्तरराष्ट्रीय ढांचा अपने स्तर पर मौजूद है इसे पूरी तरह लागू करना बाकी है। सदस्यों राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने विधि विधानों की समीक्षा करें ताकि वे प्रवासी तस्करों, मानवदेह व्यापारियों तथा दूसरे गुनाहगारों के विरुद्ध अभियोजन करने में सक्षम बनें और हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपराधिक न्याय एजेन्सियों की क्षमता तथा गुणों को और सक्षम बनाया जाए तथा ऐसे राष्ट्रीय तथा स्थानीय अधिकारियों, जिनका काम प्रवासियों संबन्धी सुरक्षा, अभियोजन तथा श्रम लागू करने से संबंधित है, उनकी ट्रेनिंग और आवश्यक हो तो संख्या को बढ़ाएं। ऐसे सारे पात्र जो हिंसा से लड़ने में शामिल हैं उनकी क्षमता ऐसी हो कि वे हिंसा पीडितों की पहचान कर सकें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है। जन कल्याणकारी एजेन्सियों को, जो प्रवासियों तथा हिंसा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं उनको भी और मजबूत बनाना चाहिए।

अन्त में सहायता को सभी विशेष समूहों की जरूरतों तथा विभिन्न आयामों के अनुरूप ढला होना चाहिए।

*

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
unicindia@unicindia.org

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, 55 लोदी एस्टेट, नई दिल्ली–110003
फोनः 24623439, फैक्स : 91–11–24620293, 24628508
e-mail: unicindia@unicindia.org, www.unic.org.in